न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 626–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–1–14 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 359/बी–103/33/2012–13.

1– श्री अनिल कुमार गोयल,
पिता श्री हरीराम गोयल

2– श्रीमती रीतू गोयल, पत्नि श्री अनिल कुमार गोयल
दोनों निवासी 01, नर्मदा क्लब कम्पाउन्ड,
कैंट जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प म0प्र0 ---- अनावेदक

श्री आशीष अग्रवाल, अधिवक्ता, आवेदकगण .

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22 -12 -15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 359/बी–103/33/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15–1–14 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर से प्राप्त आक्षेपित दस्तावेजों की सूची के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टाम्प एक्ट की धारा 33 के तहत कार्यवाही में लिया जाकर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया एवं आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक पर कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की राशि अधिरोपित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने समस्त प्रकरण की विवेचना करते हुए और वैधानिक बिंदुओं की विवेचना करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है । उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि म0प्र0 नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 12 (एक) के तहत प्राक्कलित विकास व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने महा निरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक म0प्र0 भोपाल द्वारा बताई गई विकास लागत को ही प्राक्कलित व्यय की गणना का आधार मानते हुए पंजीयन शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा आवेदक द्वारा पंजीयक के समय चुकाया गई मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक शुल्क को कम करते हुए शेष कमी स्टाम्प शुल्क रूपये 40,37,463/–एवं पंजीयन शुल्क रूपये 32,29,970/– तथा शास्ति रूपये 567/– इस प्रकार कुल राशि रूपये 72,68,000/–

जमा करने के आदेश आवेदक को दिए हैं । उक्त आदेश क्यों कर अवैध है इस पर आवेदक की ओर कोई तथ्य या आधार नहीं दर्शाए गए हैं ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में कोई अवैधानिकता या अनौचित्यता न होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर